कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 39/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 27.01.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 27.01.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस नोट, जनपद – आजमगढ़

थाना – जहानागंज, दिनांक – 26.01.2026

थाना जहानागंज पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय अवैध शराब की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त घायल व एक अन्य अभियुक्त गिरफ्तार।

अभियुक्तों के कब्जे से कुल 2880 टेट्रा पैक (प्रत्येक 180 एमएल), कुल मात्रा – 518.4 लीटर(कीमत लगभग 10 लाख रूपये), 02 अदद अवैध तमंचा (.315 बोर), 02 अदद जिन्दा कारतूस (.315 बोर), 01 अदद खोखा कारतूस (.315 बोर), 01 अदद मिस कारतूस (.315 बोर), 01 अदद चारपहिया मालवाहक वाहन (लोडर), फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई, मोबाइल फोन, नकद धनराशि एवं वाहन की चाभी बरामद।

आज दिनांक 26.01.2026 को गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत थाना जहानागंज पुलिस द्वारा क्षेत्र में सघन चेकिंग एवं पैदल गश्त की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ शराब तस्कर एक बिहार नम्बर की चारपहिया मालवाहक वाहन (लोडर) से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब लेकर चिरैयाकोट–मऊ मार्ग होते हुए बिहार ले जाने वाले हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष जहानागंज श्री अतुल कुमार मिश्र द्वारा तत्काल पुलिस बल को अवगत कराते हुए साईं ढाबा के पास भुजही मोड़ पर बैरियर लगाकर चेकिंग प्रारम्भ की गई तथा पूर्व से क्षेत्र में तैनात द्वितीय पुलिस टीम को भी सतर्क किया गया। कुछ ही देर में जहानागंज की ओर से एक संदिग्ध बिहार नम्बर की मालवाहक वाहन आती दिखाई दी। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर उक्त वाहन ने बैरियर को टक्कर मारते हुए तेज गति से चिरैयाकोट की ओर भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए वाहन का पीछा किया गया। लंगड़ा बाबा मैदान के पास वाहन ईंटों के ढेर में फँसकर बंद हो गई। अपने को चारों ओर से घिरा देख वाहन में सवार दो अभियुक्तों ने पुलिस बल को गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा अवैध तमंचों से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ एवं न्यूनतम बल प्रयोग की नीति के तहत नियंत्रित जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लग गई तथा दूसरा अभियुक्त भागने की कोशिश करने लगा जिसे पुलिस द्वारा घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अभियुक्त द्वारा पूछताछ में अपना नाम कुन्दन कुमार पुत्र हरेन्द्र राय, निवासी ग्राम लोदीपुर चिरान, थाना डोरीगंज, जिला छपरा (बिहार), उम्र लगभग 26 वर्ष बताया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में अपना नाम रंजन कुमार पुत्र लल्लन राय, निवासी ग्राम लोदीपुर चिरान, थाना डोरीगंज, जिला छपरा (बिहार), उम्र लगभग 24 वर्ष बताया गया।

➡ घायल अभियुक्त को तत्काल प्राथमिक उपचार प्रदान कर जीवनरक्षा हेतु अस्पताल भेजा गया। दूसरे अभियुक्त को घेराबंदी कर मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➡ घटनास्थल का निरीक्षण फील्ड यूनिट द्वारा कर साक्ष्य संकलित किए गए तथा सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से कराई गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

01. कुन्दन कुमार पुत्र हरेन्द्र राय, निवासी ग्राम लोदीपुर चिरान, थाना डोरीगंज, जिला छपरा (बिहार), उम्र लगभग 26 वर्ष (घायल)

02. रंजन कुमार पुत्र लल्लन राय, निवासी ग्राम लोदीपुर चिरान, थाना डोरीगंज, जिला छपरा (बिहार), उम्र लगभग 24 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्तगण व आपराधिक इतिहास-

कुन्दन कुमार पुत्र हरेन्द्र राय निवासी ग्राम लोदीपुर चिरान थाना डोरीगंज जिला छपरा बिहार उम्र करीब 26 वर्ष

1. कुन्दन कुमार पुत्र हरेन्द्र राय निवासी ग्राम लोदीपुर चिरान थाना डोरीगंज जिला छपरा बिहार उम्र करीब 26 वर्ष

1.मु0अ0सं0 178/2023 धारा 323,341,324,379,504,34 भादवि थाना डोरीगंज सारन विहार

2. मु0अ0सं0 140/2022 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना डोरीगंज सारन विहार

3.मु0अ0सं0 335/2023 धारा 341,323,379,384,385,504,506,34 भादवि थाना डोरीगंज सारन विहार

4. मु0अ0सं0 310/2022 धारा 341,323,379,504, 34 भादवि थाना डोरीगंज सारन विहार

5. मु0अ0सं0 207/2022 धारा 272,273 भादवि व 60, आबकारी एक्ट थाना डोरीगंज सारन विहार

रंजन कुमार पुत्र लल्लन राय निवासी ग्राम लोदीपुर चिरान थाना डोरीगंज जिला छपरा बिहार उम्र करीब 24 वर्ष

01. मु0अ0सं0 27/26, धारा 338/336(3)/340(2)/109(1)/352/351(3)/3(5) बीएनएस, धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम,धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण –

01. विभिन्न ब्राण्ड की कुल 60 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब
02. कुल 2880 टेट्रा पैक (प्रत्येक 180 एमएल)
03. कुल मात्रा – 518.4 लीटर
04. दो अदद अवैध तमंचा (.315 बोर)
05. दो अदद जिन्दा कारतूस (.315 बोर)
06. एक अदद खोखा कारतूस (.315 बोर)
07. एक अदद मिस कारतूस (.315 बोर)
08. एक अदद चारपहिया मालवाहक वाहन (लोडर), फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई
09. मोबाइल फोन, नकद धनराशि एवं वाहन की चाभी

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि बिहार में शराबबंदी के चलते वे उत्तर प्रदेश से अवैध शराब लाकर बिहार में ऊँचे दामों पर बेचते थे तथा पुलिस से बचने के लिए फर्जी नम्बर प्लेट का प्रयोग करते थे। अपनी गिरफ्तारी से बचने हेतु वे अवैध हथियारों का उपयोग करते थे।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 27/26, धारा 338/336(3)/340(2)/109(1)/352/351(3)/3(5) बीएनएस, धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम,धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

➡ जनपद आजमगढ़ पुलिस अवैध शराब तस्करी एवं संगठित अपराध के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। आमजन से अपील है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. थानाध्यक्ष श्री अतुल कुमार मिश्र थाना जहानागंज आजमगढ़
02. व0उ0नि0 श्री सविन्द्र रायथाना जहानागंज आजमगढ़
03. उ0नि0 श्री लवकुश कुमार सोनकर थाना जहानागंज आजमगढ़
04. का0 शिवम चौधरी, थाना जहानागंज आजमगढ़
05. का0 सुधीर गोस्वामी थाना जहानागंज आजमगढ़
06. हे0का0 गोविन सिंह, थाना जहानागंज आजमगढ़
07. का0 कौशल शर्मा थाना जहानागंज आजमगढ़
08. का0 पवन सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़
09. का0 हरेन्द्र सिंह, थाना जहानागंज आजमगढ़

प्रेस नोट, दिनांक – 27.01.2026
थाना – मेहनगर, जनपद – आजमगढ़
30 लाख रुपये हड़पने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 26.01.2026 को वादिनी श्रीमती रूकमीना सरोज पत्नी रामबिलास सरोज निवासी ग्राम गंजोर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना उपस्थित होकर तहरीर दी गई कि कृष्णा चौहान पुत्र रविन्द्र चौहान निवासी ग्राम शाहगढ़ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के कहने पर अमित यादव व सोनू यादव पुत्रगण भोला यादव निवासीगण मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी को उसके गाँव में भूमि दिलाने एवं लखनऊ स्थित प्लॉटिंग में निवेश कराने का झांसा देकर दिनांक 21.09.2024 को आरटीजीएस के माध्यम से ₹10,00,000/- तथा दिनांक 30.09.2024 को नगद ₹20,00,000/- प्राप्त किए गए तथा एक वर्ष पश्चात ₹45,00,000/- वापस करने का आश्वासन दिया गया।

एक वर्ष बीतने के उपरांत जब वादिनी द्वारा धनराशि की मांग की गई तो अभियुक्तगण द्वारा गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी गई।

उक्त तहरीर के आधार पर थाना मेहनगर पर **मु0अ0सं0 35/26 धारा 316(2), 352, 351(3) बीएनएस** बनाम

1. कृष्णा चौहान,
2. अमित यादव
3. सोनू यादव

पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 सतीश कुमार द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 27.01.2026 को विवेचक उ0नि0 सतीश कुमार मय हमराह हे0का0 रतनलाल व का0 दुर्गेश गोड़ द्वारा वांछित अभियुक्त अमित यादव की तलाश के दौरान ग्राम मोहब्बतपुर में स्थित शिव मंदिर के पास अभियुक्त को नोटिस धारा 35(3) बीएनएसएस तामील कराने का प्रयास किया गया, जिसे अभियुक्त द्वारा लेने से इंकार कर नोटिस फाड़ दिया गया।

अभियुक्त थाना स्थानीय का हिस्ट्रीशीटर है तथा विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा था एवं वादिनी को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा था। परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कारण गिरफ्तारी बताते हुए अभियुक्त को समय करीब **12.30 बजे** पुलिस हिरासत में लिया गया।

अभियुक्त का नाम व पता अमित यादव पुत्र स्व0 भोला यादव निवासी – मोहब्बतपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़
उम्र – लगभग 22 वर्ष

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 35/26 धारा 316(2), 352, 351(3) बीएनएस थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 153/2018 धारा 147, 323, 427 भादवि – थाना मुबारकपुर
2. मु0अ0सं0 18/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट – थाना निजामाबाद
3. मु0अ0सं0 252/2021 धारा 307 भादवि – थाना सिधारी
4. मु0अ0सं0 221/2024 धारा 2(b)(1), 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट – थाना कोतवाली, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

- उ0नि0 सतीश कुमार
- हे0का0 रतनलाल
- का0 दुर्गेश गोड़ थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

02 वर्ष से अधिक समय से गुमशुदा बच्चों की बरामदगी व गंभीर मामलों के सफल अनावरण पर ए.एच.टी. थाना आजमगढ़ के विवेचकों को ₹10,000 नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मान

गुमशुदा बच्चों, जिनके गुम होने के 02 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका था, की सफल बरामदगी के उपरान्त जनपद आजमगढ़ में स्थापित मानव तस्करी विरोधी (ए.एच.टी.) थाना के विवेचकों को उनके सराहनीय कार्य के लिए श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा ₹10,000/- के नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक श्री अभयराज मिश्रा, थाना ए.एच.टी., आजमगढ़ द्वारा 02 वर्ष से अधिक समय से लम्बित **मु0अ0सं0 153/20 धारा 363/366/120बी भादवि थाना बरदह, जनपद आजमगढ़** की गहन विवेचना की गई। गहन विवेचना एवं अथक प्रयासों के फलस्वरूप यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता की हत्या कर शव को कब्रिस्तान में फेंक दिया गया था। पीड़िता के शव की बरामदगी करते हुए मुकदमे में धारा 302/201 भादवि की बढ़ोत्तरी की गई तथा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

इसी क्रम में **मु0अ0सं0 212/20 धारा 363/366 भादवि थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़** की गहन विवेचना करते हुए सम्बन्धित पीड़िता को सकुशल बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

तत्कालीन विवेचक उ0नि0 श्री रामनिवास राम (सेवानिवृत्त), थाना ए.एच.टी., आजमगढ़ द्वारा **मु0अ0सं0 82/19 धारा 366/368/120बी भादवि थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़** की गहन विवेचना करते हुए कड़े प्रयासों के उपरान्त सम्बन्धित पीड़िता को जनपद मुरैना, राज्य मध्य प्रदेश से बरामद कर विधिक कार्यवाही की गई।

इसी प्रकार तत्कालीन विवेचक उ0नि0 श्री विजय कुमार शुक्ल (वर्तमान में स्थानान्तरित – जनपद बलिया), थाना ए.एच.टी., आजमगढ़ द्वारा **मु0अ0सं0 270/20 धारा 363/366 भादवि थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़** की गहन विवेचना करते हुए पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया तथा मुकदमे में धारा 120बी/376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

उक्त सराहनीय कार्यों एवं विवेचकों के उत्साहवर्धन के उद्देश्य से श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक **26.01.2026 (गणतंत्र दिवस)** के अवसर पर मुख्यालय महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, 1090 चौराहा, गोमतीनगर, लखनऊ के प्रांगण में ₹10,000/- नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

पुरस्कार से सम्मानित विवेचकगण—

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अभयराज मिश्रा, थाना ए.एच.टी., जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 श्री रामनिवास राम (सेवानिवृत्त), तात्कालिक नियुक्ति थाना ए.एच.टी., जनपद आजमगढ़
3. उ0नि0 श्री विजय कुमार शुक्ल (स्थानान्तरित – जनपद बलिया), तात्कालिक नियुक्ति थाना ए.एच.टी., जनपद आजमगढ़